

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं. 19/2019- सीमाशुल्क (गै.टे)**

नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च, 2019  
10 फाल्गुन, शक 1940-41

का.आ. (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड भारत सरकार की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जो कि संख्या का.आ. 830 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 21 नवंबर 1994 को प्रकाशित की गई थी, में, एतद्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक में, मद (iii) का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं. 550/26/2012-एलसी)

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 की का.आ. 830 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें, दिनांक 24 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.) जो कि दिनांक 24 मई, 2017 को का.आ. 1684(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।